न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी – अतुल प्रकाश, आई0ए0एस0 (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 89/15

1 दयाल आत्मज श्री रामसुख, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पाचनकुई, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

वादी

बनाम

1 दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दिनांक : 05.08 .2019

उपस्थिति : श्री लोकेश कुमार सैनी, रमेशचन्द गुर्जर, वादी वकील

निर्णय

1. वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि वादी ग्राम पाचनकुई, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा का स्थायी निवासी है तथा काश्तकारी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वादी को ग्राम पाचनकुई की आराजी खसरा नम्बर 11 की 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 12 की 0.04 हैक्टर कुल 0.23 हैक्टर आराजी का 15.06.2002 को आवंटन किया जाकर कब्जा दिया गया है। तब से ही वादी उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी कब्जा है। वादी के पास उक्त आराजी का पट्टा मौजूद है। उक्त आराजी पर आज तक सरकार द्वारा वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये है। वादी को उक्त आराजी पर कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसके बावजूद आज तक भी वादी को उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये है। वादी द्वारा कई बार राजस्व अधिकारियों से निवेदन किया जा चुका है। इसके बावजूद आज तक वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये है इसलिये वादी के लिये खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी के प्रतिनिधि आये दिन वादी को उक्त आराजी से बेदखल करने की धमकी दे रहे है इसलिये प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अर्जेन्ट नेचर का होने से प्रतिवादी राज. सरकार को धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत नोटिस दिया जाना संभव नहीं है इसलिये उक्त वाद धारा 80(2) जाप्ता दीवानी के तहत पेश किया जा रहा है जिसको पेश करने की अनुमति प्रदान कर वाद दर्ज रजिस्टर कर वाद का निस्तारण मेरिट्स पर किया जावे। वाद कारण अन्तिम बार दिनांक 06.08.2015 को राजस्व

Atulprakash
05/08/2019

Scanned by CamScanner

अधिकारियों से वादी के नाम उक्त आराजी को खातेदारी में दर्ज करने की कहने तथा उनके द्वारा इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ। विवादित आराजी ग्राम पाचनकुई, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित है। इस कारण उक्त वाद का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री प्रदान की जावे कि वादी को ग्राम पाचनकुई की आराजी खसरा नम्बर 11 की 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 12 की 0.04 हैक्टर कुल 0.23 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जाकर उक्त आराजी वादी के खाते में बहैसियत खातेदार दर्ज किया जावे तथा वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार कर हस्तक्षेप नहीं करे, वादी को शान्तिपूर्वक काश्त करने दे तथा वादी को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करें। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में मौका नक्शा तथा आवंटन पत्र, नामान्तरकरण पंजिका व खसरा गिरदावरी की फोटोप्रति पेश की है।

2. दौराने वाद प्रतिवादी सरकार जर्ये तहसीलदार की ओर से तलवी उपरान्त भी जवाब दावा आदि पेश नहीं होने पर न्यायालय पत्रांक एसीएम/रीडर/2017/1285 दिनांक 12.09.2017 से जवाब दावा, साक्ष्य, मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया जिसके प्रत्युत्तर में विवादित आराजी पर वादी का कब्जा होने सम्बन्धी रिपोर्ट पेश की गई। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब दावा अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया गया। फलस्वरूप प्रतिवादी की ओर से किसी के भी उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रकरण के बहस में आने पर वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

4. हमने वादी अभिभाषक की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि विवादित आराजी ग्राम पाचनकुई, पटवार हल्का धर्मपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित है। वादी द्वारा उक्त आराजी के आवंटन पत्र एवं सम्बन्धित नामान्तरकरण पंजिका की फोटोप्रति पेश की गई है। इसके अतिरिक्त कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

5. राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1950 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35, सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) सपठित धारा 2 की उपधारा (1) के बिन्दु संख्या (10) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक : प.10(3)नविवि/80पार्ट–1 दिनांक 04.09.2013 के क्रम संख्या 104 पर अंकित राजस्व ग्राम पाचनकुई, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को नगरीय क्षैत्र में सम्मिलित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। संयुक्त सचिव, राजस्व

Atul Prakash 05/08/19

Scanned by CamScanner

(ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर अधिसूचना क्रमांक एफ.9(15)रेवेन्यू–6/2005पार्ट/13 दिनांक 13.05.2015 द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन के नियम 18(4) में संशोधन कर नगरीय क्षैत्र की भूमि पर नियमानुसार राजकोष में राशि जमा कराने पर खातेदारी प्रदान किये जाने के लिये सम्बन्धित जिला कलक्टर को अधिकृत किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है।

6. अतः प्रकरण का उसके गुणावगुण के आधार पर मनन करने पर प्रकरण की विवादित राजस्व आराजी वर्तमान में नगरीय क्षैत्र में होने से उस पर खातेदारी प्रदान किये जाने हेतु इस न्यायालय की अधिकारिता नहीं होने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

7. निर्णय आज दिनांक 05 अगस्त, 2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Atul Prakash 5/08/19

(अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी– अतुल प्रकाश, I.A.S. (P)

बउनवान :–

1 दयाल आत्मज श्री रामसुख, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पाचनकुई, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
वादी

बनाम

1 दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा
प्रतिवादी

दावा बाबत : 88, 89, 91, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 89 / 15
निर्णय दिनांक : 05-08-2019

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से वादी अभिभाषक श्री रमेशचन्द गुर्जर की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 05–08–2019 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर प्रकरण का उसके गुणावगुण के आधार पर मनन करने पर प्रकरण की विवादित राजस्व आराजी वर्तमान में नगरीय क्षैत्र में होने से उस पर खातेदारी प्रदान किये जाने हेतु इस न्यायालय की अधिकारिता नहीं होने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।
खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 05.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

AtulPrakash 05/08/19
(अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर, कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		

Scanned by CamScanner